

मूल वाद में आंशिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार त्यागी (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या 2229/2015	रजू दिनांक 01.01.2015 उनवान	आंशिक निर्णय दिनांक 05.11.2018
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1. मनोजसिंह पुत्र गिर्राजसिंह पुत्र प्रेमसिंह
2. राहुलसिंह पुत्र गिर्राजसिंह पुत्र प्रेमसिंह समस्त जाति राजपूत नि० डाबडवास तह० नीमराना जिला अलवर नाबालिग जरिये सरपरस्त माता अनिल देवी खुद।
3. अनिल देवी पत्नी स्व० गिर्राज सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत नि० ग्राम डाबडवास तह० नीमराना जिला अलवर राज०

.....वादीगण

बनाम

- 1 श्योनारायण सिंह
 - 2 रघुवीरसिंह पुत्रान अगंसिंह
 - 3 महीपालसिंह
 - 4 समयसिंह पुत्रान भगवानसिंह
 - 5 बिमला देवी पत्नी स्व० मोहरसिंह
 - 6 हरिसिंह
 - 7 अनिलसिंह
 - 8 संजयसिंह पुत्रान मोहरसिंह
 - 9 मीनाबाई पुत्री मोहरसिंह
 - 10 बगडावतसिंह पुत्र गंगासिंह
 - 11 गुडडी देवी पत्नी मुकेश सिंह समस्त जाति राजपूत
 - 12 लाली देवी पत्नी मनोहरलाल जाति खाती
 - 13 मीरा देवी पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत
 - 14 सतपाल
 - 15 धर्मपाल पुत्रान रामचन्द्र समस्त जाति खाती नि० ग्राम डाबडवास तह० नीमराना।
 - 16 उप पंजीयक मांढण।
 - 17 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नीमराना।
-असल प्रतिवादीगण
- 18 विजयसिंह
 - 19 अजीतसिंह
 - 20 ओमपालसिंह
 - 21 बोदनसिंह
 - 22 मुनीमसिंह पुत्रान अमरसिंह पुत्र कल्लूसिंह समस्त जाति राजपूत नि० ग्राम डाबडवास तह० नीमराना जिला अलवर राज०
-तर०प्रतिवादीगण

—:इस्तकरारहक बजरिये दुरुसती इन्द्राजात व हुक्म इम्तनाई दवामी:—

—: आंशिक पर्चा डिक्री :-

दिनांक :- 05.11.2018

वादीगण की ओर से श्री राघेश्याम यादव अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री मनीष यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.11.2018 को अशोक कुमार त्यागी उपखण्ड अधिकारी, नीमराना के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

“ आराजी ख.नं. हाल 899/0.20, 900/0.24, 901/1.18, 902/0.36, 912/0.32, 913/0.59, 914/0.20, 915/0.08, 916/0.40, 917/0.30, 918/0.21 हैक्ट. वाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना के 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार वादीगण को समभाग में घोषित किया जाता है। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 05.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अशोक कुमार त्यागी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पीठासीन अधिकारी